अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 05 /2023

09

01-06-2023

राज्य

बनाम

सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची के पत्रांक 204/डी०सी०बी० दिनांक 24.02.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत जिला बद्र/निर्वासन करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. चान्हो थाना कांड सं0 137/20 दि0 14.08.2020 धारा 392 भा०द०वि०
2. चान्हो थाना कांड सं0 145/20 दि0 26.08.2020 धारा 392 भा0द0वि०
3. चान्हो थाना कांड सं0 168/21 दि० 31.10.2021 धारा 387/435 भा०द०वि०
4. चान्हो थाना सन्हा सं० 21/23 दि०17.02.2023
5. चान्हो थाना सन्हा सं० 06/23 दि० 19.02.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, रॉंची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, खलारी, रांची के कार्यालय का ज्ञापांक– 228/2023,

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दिनांक–13.02.2023 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि अपराधकर्मी सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची एक पेशेवर अपराधी है, इनकी मुख्य पेशा अपराध करना है। ये मारपीट कर अस्थिर करने में हमेशा आमदा रहता है, जो समाज के लिए खतरनाक है। ये वर्तमान में न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है तथा गवाहों को अपने विरूद्ध गवाही देने के लिए बुरा अंजाम देने की धमकी देता है। इनका वास्तविक अपराधिक इतिहास इनके अभिलेखिक अपराधिक इतिहास से कही ज्यादा बड़ा एवं व्यापक है। इनकी अपराधिक गतिविधियों पर आम जनता में आतंक एवं दहशत है। इनकी अपराधिक घटनाओं में शामिल देखने के बावजूद भी कांडों के पीड़ित गवाह एवं अन्य लोगों विषयांगिक अपराधी को नामजद करते हुये प्राथमिकी कराने या उसके खिलाफ गवाही देने अथवा उसका नाम पुलिस को बताने के लिए तैयार नहीं होते है। इनके अपराधिक गतिविधियों में आम जनता में भय, दहशत एवं आतंक व्याप्त हो जाता है जिससे लोग शांति एवं विधि व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(1)(a)(b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी को निर्गत नाटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त इस न्यायालय मे उपस्थित हुए, परन्तु ना तो उन्होने कारण पृच्छा समर्पित किया है और ना ही विगत तिथि को उनके ओर से इस वाद मे बहस हेतु कोई उपस्थित ही हुआ।

प्रस्तुत मामले मे विद्वान जिला लोक अभियोजक, रॉची ने पत्रांक 150/23 दिनांक 08.05.2023 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमे उन्होने विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा – धारा–3(A)(B)(I)(II) के अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा किया है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक पेशेवर अपराधी है, इनकी मुख्य पेशा अपराध करना है। ये मारपीट कर अस्थिर करने में हमेशा आमदा रहता है, जो समाज के लिए खतरनाक है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची को इस जिले से निर्वासन करना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(a)(b)(i)(ii) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची को दिनांक 10.06.2023 से अगले छः माह अर्थात दिनांक 10.12.2023 तक की अवधि के लिए इस जिले से निर्वासित करने का ओदश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (1) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 25,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 09.06.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 10.06.2023 से अगले छः माह तक अर्थात दिनांक 10.12.2023 तक रॉची जिला मे प्रवेश नही करेगे। उक्त आदेश का पालन नही किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झाखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 7(2)(b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची, झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यकता होने पर Permission to return temporarily हेतु इस न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति सईउल्लाह खान उर्फ टाईगर उर्फ ईदुल, पिता एनामुल ओहदार, निवासी –सिलागाई, थाना–चान्हों, जिला–रॉची तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। जिला दण्डाधिकारी रॉची (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:30:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d